

राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. शोकाभिव्यक्ति

श्री पूंजालाल गरासिया, सदस्य, दसवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अधिसूचना संख्या: एफ. 15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/819 दिनांक 23.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 15(2)परावि/विधि/पुनर्गठन/ 98/3837 दिनांक 22.8.2000 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़ , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री युनूस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-14(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 एवं आयोग की सिफारिशों के संबंध में स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे।

3. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन)
विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-21)

"राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भूमि अर्जन
विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-22)

"भू-स्वामियों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को कम से कम बाधा पहुँचाते हुए, लोक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन के लिये उपबंध करने और उसकी प्रक्रिया शीघ्र निपटाने के लिये और उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है, न्यायोचित और बेहतर प्रतिकर प्रदान करने के लिये और उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये मौद्रिक रूप से क्षतिपूर्ति करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

4. संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प

श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

संकल्प

"यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है ।"

(अंग्रेजी अनुवाद)

Resolution

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (b) of the proviso to clause (2) of Article 368, propose to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty First Amendment) Bill, 2014, as passed by both the Houses of Parliament."

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 सितम्बर, 2014

राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

अनुपूरक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-23)

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 सितम्बर, 2014

नोट- यह आईटम मूल कार्य-सूची के आईटम संख्या-3(II) के पश्चात् लिया जायेगा ।